बेटी बचाओ
Save the girl Child

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

कमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/स्वा.प्रबं/2012/1062 दिनांक : 30/07/12

मुखबिर योजना हेतु दिशा–निर्देश

राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिये मुखबिर योजना प्रारम्भ की गयी है। चिकित्सक को तकनीक के दुरूपयोग को रोकने के लिए गोपनीय रूप से सूचना जनता से प्राप्त करना आवश्यक है तथा ऐसी सूचना को प्रदान करने के लिए जनता को अभिप्रेरित करना भी आवश्यक है। इसमें जनसहयोग की आवश्यकता है। इस योजना के द्वारा लिंग परीक्षण के दोषी व्यक्तियों तक विभाग की पहुँच को सुनिश्चित करते हुए उन्हे कानून के दायरे मे लाया जा सकता है। समाज में यह सन्देश दिया जा सकता है कि लिंग परीक्षण करने/कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध जनसूचना के आधार पर उन्हें दण्डित कराया जा सकता है तथा इसके लिए लिंग परीक्षण करने वाले व्यक्ति/चिकित्सक की सूचना विभाग को देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए उसको विभाग द्वारा पुरूस्कार प्रदान किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/2011/2919 दिनांक 27.12.2011 एवं क्रमांक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/स्वा.प्रबं./2012/674 दिनांक 26.05.2012 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई "मुखबिर योजना" एवं सबंधित दिशा निर्देश निम्न प्रकार जारी किये जाते है :–

1. **मुखबिर योजना के उद्देश्य :–**
   1. समाज मे घटते हुए बाल लिंगानुपात पर रोक लगाने का प्रयास करना।
   2. ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें कानून के शिकंजे में लाना जो कि तकनीक के दुरूपयोग से भ्रूण का लिंग परीक्षण कर बेटियों को जन्म लेने से रोक रहे है।
   3. समाज को बेटी बचाने के लिये जागरूक करना व इस कार्य के लिये उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
   4. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरूपयोग को रोकना।

2. **मुखबिर योजना के लाभ :–**

यदि लोग इस योजना के द्वारा चिकित्सकों को लिंग परीक्षण में लिप्त पाये जाने पर कानून के दायरे में लाने के लिए मदद करते है, तो उन चिकित्सकों में भय का वातावरण पैदा होगा जो तकनीक के दुरूपयोग से बेटी के जन्म को रोक रहे है।

3. **कार्य नीति :–**

मुखबिर द्वारा दी गई लिंग परीक्षण किये जाने की सूचना के आधार पर, समुचित प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी, समुचित प्राधिकारी द्वारा सूचना का सत्यापन किया जाएगा। सूचना के सत्यापन में बोगस ग्राहक (गर्भवती महिला) की उपलब्धता के आधार पर डिकॉय कार्यवाही सम्पादित की जाएगी जिसमें मुखबिर द्वारा दी गई सूचना एवं सहयोग में चिकित्सक का नाम तथा गर्भवती महिला के भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाना साबित होने पर, मुखबिर पुरस्कार के प्रथम किस्त का हकदार होगा।

4. **मुखबिर योजना हेतु विभाग द्वारा निर्धारित पुरस्कार :–**
   1. मुखबिर के रूप में लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति को, लिंग परीक्षण की शिकायत सत्य पाये जाने एवं सफल डिकॉय कार्यवाही की जाने पर 50,000/– रु. राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जायेगी एवं उक्त मामले में अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में आरोप विरचित होने के पश्चात् 25,000/– रु. की अतिरिक्त राशि एवं अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने पर 25,000/– रुपये की अतिरिक्त राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जायेगी। इस प्रकार कुल 1,00,000/ रु. राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

2. डिकॉय ऑपरेशन मे गर्भवती महिला से, डॉक्टर द्वारा लिंग परीक्षण हेतु प्राप्त की जाने वाली राशि, जिस व्यक्ति के द्वारा दी जायेगी तथा उस राशि की बरामदगी होने के पश्चात्, प्रकरण में
3. परिवाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत होने एवं अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित होने पर तथा सम्बंधित व्यक्ति (साक्षी) के न्यायालय में कथन हो जाने के पश्चात विभाग के द्वारा संबंधित व्यक्ति को उस राशि का पुनर्भरण कर दिया जायेगा।
4. मदद करने वाले मुखबिर/गैर–सरकारी संगठनों/व्यक्तियो को सार्वजनिक नहीं किया जाकर उनके नाम गुप्त रखें जायेंगे।

5. मुखबिर योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना :–

राज्य स्तर पर:–

1. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव, (प.क.)।
2. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं।
3. उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. प्राधिकृत अधिकारी, राज्य समुचित प्राधिकारी।

जिला स्तर पर:–

1. जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलेक्टर।
2. जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

उपखण्ड स्तर पर:–

1. उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं उपखण्ड अधिकारी।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ट शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. उप निदेशक (आर.सी.एच) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्थान।
8. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

मिशन निदेशक (एन.आर.एच.एम.) एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

MD NRHM

To coordinate urgently

08 JUN 2012

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
08 JUN 2012
5751
डायरी क्रमांक ... Jaipur, Date 8-6-2012

5-6-2012

Government of Rajasthan
Department of Administrative Reform (Sec.-3)

S.No: F-6 (29)/AR/Gr.-3/2012/ 29016

Order

State Task Force for Care and Protection of Girl Child constituted as under:-

1.	**Chief Secretary**	**Chairperson**
2.	**Additional Chief Secretary** Panchayati Raj & Rural Development	**Member**
3.	**Additional Chief Secretary** Social Justice & Empowerment	**Member**
4.	**Additional Chief Secretary** Department of Home	**Member**
5.	**Principal Secretary, Finance**	**Member**
6.	**Principal Secretary** Medical, Health & Family Welfare	**Member**
7.	**Principal Secretary** Women & Child Development	**Member**
8.	**Principal Secretary** School & Sanskrit Education	**Member**
9.	**Commissioner & Secretary** Department of Public Relations	**Member**
10.	**Member Secretary** Rajasthan State Commission For Women	**Member**
11.	**Member Secretary** Rajasthan State Commission For Protection of Child Rights	**Member**
12.	**Representation from Districts (District Collectors)** Jaipur and Sriganganagar	**Member**

कार्यालय मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
क्रमांक 5903 दिनांक 11.06.12

D, RCH
8 JUN 2012

Medical & Health Services
State PCPNDT Cell, Jaipur
No. 25173
Date 12/6/12

11/06/12

(8)

9. **To suggest effective monitoring and review mechanisms and processes, focusing on outcomes.** This could also link with ongoing initiatives such as RSCPCR, social audits, community based monitoring and accreditation processes.
10. **To identify and replicate innovative approaches and best practices that may evolve through the above,** and recommend new strategic options and policy development interventions for the Twelfth Plan.
11. **The State Task Force will prepare a Plan of Action to combat the problem of declining child sex ratio to be adopted in 12th Five Year Plan.**

The State Task Force would meet once a month, as may be decided by the Chairperson. This order will supersede order no. 22598 dated 07-05-2012.

By Order of Governor

(R.C. Gupta)
Dy. Secretary to Govt.

S.No: F-6 ( )/AR/Gr.-3/2012/ 29017-34 Jaipur, Date 6-6-12

Copy for information:-

1. Principal Secretary, Hon'ble Governor, Govt. Of Rajasthan
2. Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Govt. Of Rajasthan
3. P.S. to Hon'ble Minister, Women & Child Development, Govt. Of Rajasthan
4. P.S. to Chief Secretary, Govt. Of Rajasthan
5. P.S. to Additional Chief Secretary, Panchayati Raj & Rural Development, GOR
6. P.S. to Additional Chief Secretary, Social Justice & Empowerment, GOR
7. P.S. to Additional Chief Secretary, Department of Home
8. P.S. to Principal Secretary, Department of Finance
9. P.S. to Principal Secretary, Medical & Health, GOR
10. P.S. to Principal Secretary, Women & Child Development, GOR
11. P.S. to Principal Secretary, School & Sanskrit Education
12. P.S. to Commissioner & Secretary, Department of Public Relations
13. P.S. to Member Secretary, Rajasthan State Commission For Women
14. P.S. to Member Secretary, Rajasthan State Commission For Protection of Child Rights
15. P.S. to Chief Unicef & UNFPA
16. Representative from Indian Academy of Pediatrics (IAP) Federation of Gynecologist Society of India (FOGSI)
17. P.A. to District Collectors Jaipur & Sriganganagar
18. P.A. to Secretary, Women & Child Development, Govt. Of Rajasthan for circulation of copies to related.

(C.M. Sharma)
O.S.D